न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 02 / 2024

श्री मोहम्मद हामिद पुत्र श्री मोहम्मद हबीब निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.02.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 704 दिनाक 11.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थी के पिता मोहम्मद हबीब पुत्र श्री कल्लू खॉ जाति मुसलमान निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक, जो जिला कलेक्टर कार्यालय पुल विभाग में टोंक वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे, जिनके पी पी ओ नं0 877506 (R) SF है जिनकी सर्विस डायरी की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि की आवश्यकता है जो प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (स्थापना) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को प्रेषित कर पत्र कमांक 30 दिनांक 12.01.2024 एवं पत्रांक 67 दिनांक 23.01.2024 से रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र कमांकः 963 दिनांक 13.02.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उनके पत्र कमांक 940 दिनांक 13.02.2024 से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक